लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0।
4. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
5. जिलाधिकारी, लखनऊ।
6. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
10. संयुक्त आयुक्त–उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
11. श्री पी0एन0 सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
12. श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्रांक–339/सचिव, प्रा0भ0 बोर्ड/2025–26 दिनांक : 08 अगस्त, 2025

विषयः–लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 185वीं बैठक के कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय,

मा0 अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में **लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 185वीं बैठक दिनांक 05.08.2025** को प्राधिकरण भवन के द्वितीय तल स्थित पारिजात सभागार, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुई। बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(विवेक श्रीवास्तव)
सचिव

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त महोदया, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को 185वीं बोर्ड बैठक दिनांक 05.08.2025 का कार्यवृत्त संलग्न कर सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

(विवेक श्रीवास्तव)
सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0।
4. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
5. जिलाधिकारी, लखनऊ।
6. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
10. संयुक्त आयुक्त–उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
11. श्री पी0एन0 सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
12. श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

पत्रांक–339/सचिव, प्रा0भ0 बोर्ड/2025–26 दिनांक : 08 अगस्त, 2025

विषयः–लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 185वीं बैठक के कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय,

मा0 अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में **लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 185वीं बैठक दिनांक 05.08.2025** को प्राधिकरण भवन के द्वितीय तल स्थित पारिजात सभागार, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुई। बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(विवेक श्रीवास्तव)
सचिव

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण/आयुक्त महोदया, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को 185वीं बोर्ड बैठक दिनांक 05.08.2025 का कार्यवृत्त संलग्न कर सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

(विवेक श्रीवास्तव)
सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 185वीं बैठक दिनांक
05 अगस्त, 2025 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की **185वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष डॉ0 रोशन जैकब, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य/अधिकारी उपस्थित हुएः–

उपस्थितिः–

01.	श्री प्रथमेश कुमार	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
02.	श्री कमलेश कुमार गोयल	अपर जिलाधिकारी (भू0अ0–प्रथम), प्रतिनिधि–जिलाधिकारी, लखनऊ।
03.	श्री विवेक कुमार सिंह	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, प्रतिनिधि–अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
04.	श्री अनिल कुमार मिश्र	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
05.	श्री ललित कुमार	अपर नगर आयुक्त, प्रतिनिधि–नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
06.	श्री पी0के0 सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि–आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
07.	श्री अनिल कुमार	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम प्रतिनिधि–प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
08.	श्रीमती कीर्ति साहू	अपर सांख्यिकीय अधिकारी, प्रतिनिधि–संयुक्त आयुक्त–उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
09.	सुश्री नीलम गौतम	पर्यटक अधिकारी प्रतिनिधि–महानिदेशक, पर्यटन, लखनऊ।
10.	श्री पुष्कर शुक्ला	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
11.	श्री पी0एन0 सिंह	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

अन्य उपस्थितिः–

12.	श्री विवेक श्रीवास्तव	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
13.	श्री सी0पी0 त्रिपाठी	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
14.	श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
15.	श्री एस0पी0 सिंह	संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
16.	श्री दीपक सिंह	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
17.	श्री के0के0 गौतम	मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
18.	श्री सोम कमल सीताराम	संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
19.	श्री संजीव कुमार	अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
20.	श्री विपिन कुमार शिवहरे	विहित प्राधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
21.	श्रीमती वन्दना पाण्डेय	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
22.	श्री विराग करवरिया	डिप्टी कलेक्टर, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
23.	श्री मनोज सागर	अधिशासी अभियन्ता, (वि/याँ) लखनऊ विकास प्राधिकरण।
24.	श्री अजीत कुमार	अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
25.	श्री माधवेश कुमार	उप सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
26.	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	सहायक लेखाधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया। तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गयाः–

मद सं0	विषय	निर्णय
185/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 184वीं बैठक दिनांक 27.03.2025 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की 184वीं बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
185/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 184वीं बैठक दिनांक 27.03.2025 मे लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया।

185/3	मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत रैंथा रोड बख्शी का तालाब नैमिष नगर आवासीय योजना विकसित किये जाने के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से दिनांक 03.07.2025 एवं 25.07.2025 को पारित प्रस्तावों का पुष्टिकरण।	परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
185/4	मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उद्योग नगर (वरूण विहार) आगरा एक्सप्रेस-वे आवासीय योजना विकसित किये जाने के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव दिनांक 03.07.2025 एवं दिनांक 31.07.2025 का पुष्टिकरण।	परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
185/5	मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में वरूण विहार आवासीय योजनान्तर्गत तहसील-सदर व सरोजनीनगर तथा नैमिष नगर आवासीय योजनान्तर्गत तहसील-बक्शी का तालाब में योजनाओं से आच्छादित ग्रामों में सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया S.O.P. का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।	मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में वरूण विहार आवासीय योजनान्तर्गत तहसील-सदर व सरोजनीनगर तथा नैमिष नगर आवासीय योजनान्तर्गत तहसील-बक्शी का तालाब में योजनाओं से आच्छादित ग्रामों में आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया S.O.P. का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा इसके सम्बन्ध में विस्तृत आदेश निर्गत किए जाने एवं भविष्य में परिवर्तन करने के लिए उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।
185/6	नेहरू इन्क्लेव योजनान्तर्गत स्थित 61 एकड़ भूमि सेना के पक्ष में विनियमितीकृत करने तथा प्राधिकरण की अवशेष भूमि को सेना से वापस लिये जाने के सम्बन्ध में।	नेहरू इन्क्लेव योजनान्तर्गत स्थित 61 एकड़ भूमि सेना के पक्ष में विनियमितीकृत करने तथा प्राधिकरण की अवशेष भूमि को सेना से वापस लिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
185/7	ग्रीन कॉरीडोर परियोजना के अन्तर्गत गोमती नदी के दाये बैंक पर पिपराघाट से शहीद पथ तक लखनऊ विकास प्राधिकरण के बंधे हेतु प्रस्तावित कार्य के लिये रक्षा भूमि समान भूमि, समान लागत के आधार पर प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	ग्रीन कॉरीडोर परियोजना के अन्तर्गत गोमती नदी के दाये बैंक पर पिपराघाट से शहीद पथ तक लखनऊ विकास प्राधिकरण के बंधे हेतु प्रस्तावित कार्य के लिये रक्षा भूमि को समान भूमि, समान लागत के आधार पर प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रश्नगत परियोजना जनहित एवं सार्वजनिक उपयोग की होने के कारण रक्षा विभाग की 19.797 हेक्टेयर भूमि ग्रीन कोरिडोर परियोजना के अर्न्तगत पिपराघाट से शहीद पथ के मध्य बन्धा निर्माण कार्य के लिये भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र सख्या-13020 दिनांक 07.07.2025 के द्वारा प्राप्त हो चुकी है। प्रश्नगत शासनादेश में समान मूल्य की समान भूमि देने का निर्देश है। तत्क्रम में

		प्रश्नगत प्रस्ताव के अनुसार समान मूल्य की समान भूमि सेना को स्थानान्तरित करने सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
185/8	कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय, उ0प्र0 सैनिक स्कूल, लखनऊ की निष्प्रयोज्य भूमि लिये जाने के सम्बन्ध में।	कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय, उ0प्र0 सैनिक स्कूल, लखनऊ की निष्प्रयोज्य भूमि रू0 258.34 करोड़ के भुगतान पर लिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रंदान किया गया।
185/9	दि हिमालयन सहकारी आवास समिति लि0 एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण के मध्य अनिबंधित अनुबन्ध दिनांक 27.06.2006, 27.03.2007 व 04.04.2016 एवं दो अनिबंधित अनुबंध पत्र दिनांक 28.01.2017 निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।	दि हिमालयन सहकारी आवास समिति लि0 एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण के मध्य अनिबंधित अनुबन्ध दिनांक 27.06.2006, 27.03.2007 व 04.04.2016 एवं दो अनिबंधित अनुबंध दिनांक 28.01.2017 निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
185/10	बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 को मा0 न्यायालयों में पारित आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दी गयी क्षेत्रफल 56307 वर्गमी0 भूमि में से 14309 वर्गमी0 भूमि वापस लिये जाने के सम्बन्ध में।	बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 को मा0 न्यायालयों में पारित आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दी गयी भूमि क्षेत्रफल 56307 वर्गमी0 में से 14309 वर्गमी0 भूमि वापस लिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
185/11	भारत सरकार पुर्नवास नीति के अन्तर्गत अमर शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार योजना से प्रभावित व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	भारत सरकार पुर्नवास नीति के अन्तर्गत अमर शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार योजना से प्रभावित व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित करते हुए यह निर्देश दिये गये कि आवास आवंटित किये जाने के समय पात्रता का परीक्षण सम्बन्धित विभाग से करा लिया जाय।
185/12	हरदोई रोड कामधेनु नगर प्रसार योजना (बसंतकुंज) के अन्तर्गत अर्जित ग्राम– गजराहार, बरीकला व बरावनखुर्द की भूमि के आपसी समझौते से प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में।	हरदोई रोड कामधेनु नगर प्रसार योजना (बसंतकुंज) के अन्तर्गत अर्जित ग्राम– गजराहार, बरीकला व बरावनखुर्द की भूमि के आपसी समझौते से प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
185/13	ग्राम–मखदूमपुर, लखनऊ की खसरा संख्या–242 भूमि के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका के सम्बन्ध में।	ग्राम–मखदूमपुर, लखनऊ की खसरा संख्या–242 भूमि के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण शासन को मार्ग–दर्शन हेतु सन्दर्भित किया जाए।
185/14	लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेलनेस सिटी व आईटी सिटी योजनान्तर्गत सदस्य (कन्सोर्सियम सदस्य) के रूप में 10 एकड़ या 10 एकड़ से अधिक भूमि के हितबद्ध व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों में सबसे ज्यादा भूमि के भू–स्वामी को लीडर मानते हुए अन्य कास्तकारों को 50 प्रतिशत एकजाई भूमि प्रदान किये जाने एवं	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

	शासनादेश संख्या–248/8–3– 19–152 विविध/17 दिनांक 20.02.2019 में वर्णित लैण्ड पूलिंग नीति के तहत निर्धारित प्रारूप में संशोधन करने के सम्बन्ध में।	
185/15	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित आईटी सिटी विस्तारित क्षेत्र की अतिरिक्त भूमियों पर ग्राम–मोहारी खुर्द, मोहारी कला, खुजौली व सिद्धपुरा, तहसील–मोहनलालगंज, लखनऊ में क्षेत्रफल 390. 1446 हे0 (964.0683 एकड़) भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करते हुए आवासीय योजना विकसित किये जाने विषयक।	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित आई0टी0 सिटी विस्तारित क्षेत्र की ग्राम–मोहारी खुर्द, मोहारी कला, खुजौली व सिद्धपुरा, तहसील–मोहनलालगंज, लखनऊ की अतिरिक्त भूमि क्षेत्रफल 390.1446 हे0 (964.0683 एकड़) को भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करते हुए आवासीय योजना विकसित किये जाने तथा शासन को प्रस्ताव भेजे जाने विषयक प्रस्ताव सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।
185/16	वेलनेस सिटी योजनान्तर्गत विकासकर्ताओं के स्वीकृत डी0पी0आर0 से आच्छादित गाटों के निरस्तीकरण एवं प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही योजना के अन्तर्गत छूटे हुए गाटों को संशोधित प्रस्ताव के द्वारा अर्जनीय कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	वेलनेस सिटी योजना से आच्छादित ग्रामों में विकासकर्ताओं के स्वीकृत डी0पी0आर0 के अतिरिक्त छूटी हुई समस्त भूमि को वेलनेस सिटी योजना में शामिल करते हुए तथा त्रुटिवश स्वीकृत डी.पी.आर. की ऐसी भूमि, जो वेलनेस सिटी में प्रस्तावित हो गयी हो, उसको छोड़ते हुए शासन को अतिरिक्त क्षेत्र के अर्जन किए जाने संबंधी प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत करते हुए शासन को एक माह में संशोधित प्रस्ताव प्रेषित कर आगामी बोर्ड बैठक में उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त किए जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।
185/17	उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियॉ तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियॉ तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स–2025 अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
185/18	विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत आवासीय भू–उपयोग में शासकीय विभाग द्वारा निर्मित 9.00 मी0 से कम चौड़ी सड़कों पर प्राप्त होने वाले एकल आवासीय भवन मानचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया एवं वर्तमान में लागू भवन उपविधि 2025 में अनुमन्य 07.5मी0 रोड पर भी मानचित्र स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
185/19	मोहान रोड योजना से होकर गुजरने वाली प्रस्तावित 150.0 मी0 चौडी आउटर रिंग रोड एवं प्रस्तावित 60.0 मी0 चौडे महायोजना मार्ग की चौडाई को कम करते हुए उपलब्ध भूमि में निकटवर्ती भू–उपयोग प्रस्तावित किये जाने के संबंध में।	मोहान रोड योजना से होकर गुजरने वाली प्रस्तावित 150.0 मी0 चौडी आउटर रिंग रोड एवं प्रस्तावित 60.0मी0 चौडे महायोजना मार्ग की चौड़ाई को कम करते हुए मार्ग की चौड़ाई कम करने से प्राप्त भूमि में निकटवर्ती भू–उपयोग प्रस्तावित किये जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से शासन को प्रेषित किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया।
185/20	ग्राम–रामपुर बेहड़ा एवं ग्राम–दिगोई एनएच –24, सीतापुर–लखनऊ नैशनल हाईवे, बक्शी का तालाब में प्रस्तावित महायोजना	ग्राम–रामपुर बेहड़ा एवं ग्राम–दिगोई एन0एच0–24, सीतापुर–लखनऊ, नैशनल हाईवे, बक्शी का तालाब में प्रस्तावित महायोजना मार्ग की चौडाई कम करने

	मार्ग की चौडाई कम करने के संबंध में।	के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से शासन को प्रेषित किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया।
185/21	शारदा नगर योजना स्थित रतन खण्ड में भूखण्ड संख्या–जीएच–01 पर निर्मित रतनलोक अपार्टमेन्ट से सटी हुई रिक्त आवासीय भूमि को व्यवसायिक में परिवर्तन किये जाने के संबंध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा तलपट मानचित्र में संशोधन विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
185/22	इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की मवैया योजना, मोतीनगर स्थित भूखण्ड संख्या–189, 189ए एवं 190 कुल क्षेत्रफल 6,37,473 वर्गफिट का योजना के तलपट मानचित्र में भू–उपयोग अनाथालय से सामुदायिक सुविधाओं में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।	इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की मवैया योजना, मोतीनगर स्थित भूखण्ड संख्या–189, 189ए एवं 190 कुल क्षेत्रफल 6,37,473 वर्गफिट का योजना के तलपट मानचित्र में भू–उपयोग अनाथालय तथा लखनऊ महायोजना 2031 में पार्क एवम् खुले स्थल के रूप में दर्शित है। महायोजना में पार्क एवम् खुले स्थल भू–उपयोग को सामुदायिक सुविधाओं में परिवर्तित किये जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि जनहित में प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाय।
185/23	जानकीपुरम योजना सेक्टर–एच में पीपल के पेड से प्रभावित भवन/भूखण्ड संख्या–3/337 को कब्जा दिए जाने हेतु तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन के संबंध में।	प्रस्तावानुसार तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
185/24	मिल रोड पर स्थित इण्डिस्ट्रियल योजना के तलपट मानचित्र में संशोधन के संबंध में।	प्रस्तावानुसार तलपट मानचित्र में संशोधन का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
185/25	मानसरोवर योजना स्थित सेक्टर–ओ विस्तार में हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेज भूखण्ड में रक्षा सम्पदा से पृथक भूमि को कम्युनिटी फैसिलिटी भूखण्ड में नियोजित करते हुए तलपट मानचित्र के संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तावानुसार तलपट मानचित्र में संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
185/26	हरदोई रोड स्थित बसंतकुंज योजना के सेक्टर–ए के तलपट मानचित्र का पुनर्नियोजन किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तावानुसार तलपट मानचित्र के पुनर्नियोजन के लिये उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
185/27	पुराना आर0टी0ओ0 काम्पलेक्स के तलपट मानचित्र के संशोधन के संबंध में।	प्रस्तावानुसार तलपट मानचित्र में संशोधन सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
185/28	गोमती नगर योजना में विनम्र खण्ड–2 में नियोजित भूखण्ड सं0–एफ–8 (OCF) तथा पार्क की भूमि का उपयोग आपस में बदलते (स्वैपिंग) हुए तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार तलपट मानचित्र में संशोधन सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

185/29	हुसडिया चौराहा, गोमती नगर लखनऊ, रेलवे लाईन व सेक्टर–5, गोमती नगर विस्तार के मध्य प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर नियोजन/पुनर्नियोजन किये जाने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार पुनर्नियोजन के साथ तलपट मानचित्र के संशोधन सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
185/30	भूखण्ड सं0–6/बी–175 से 6/वी–180, सेक्टर–6, गोमती नगर विस्तार के सामने दक्षिण दिशा में विद्यमान 9.0मी0 चौडे मार्ग को 12.0 मी0 किये जाने के संबंध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गयेः– 1. 9.00 मी0 चौड़े मार्ग को 12.0 मी0 चौड़ा प्रस्तावित किया जाय। 2. सड़क के सम्मुख स्थित पार्क/ग्रीन के रूप में दर्शित लगभग 0.7 हे0 भूमि को ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के रूप में नियोजित किया जाय।
185/31	चारबाग स्थित उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन कारपोरेशन को आवंटित भूमि पर निजी विकासकर्ता द्वारा बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।	चारबाग स्थित उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन कारपोरेशन को आवंटित भूमि पर निजी विकासकर्ता द्वारा पी.पी.पी. मॉडल पर उ0प्र0 सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के अन्तर्गत बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गयाः– 1. प्रस्तावित स्थल कार्नर का भूखण्ड है। अतः भवन मानचित्र स्वीकृति के समय 3.0 मी0 सेटबैक में छूट प्रदान करते हुए शासन से मार्ग की चौड़ाई 30 मी0 होने की प्रत्याशा में पूर्व तलपट मानचित्र के अनुसार मार्ग की चौड़ाई 30 मी0 मानकर मानचित्र स्वीकृत किया जाय। 2. ए0पी0 सेन रोड से मिल रोड तक महायोजना मार्ग की चौड़ाई 45.0 मी0 से 30. मी0 किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय। 3. महायोजना मार्ग की 45.0 मी0 से 30.0 मी0 चौड़ाई करने पर सड़क से मुक्त भूमि पर निकटवर्ती भू–उपयोग प्रस्तावित किये जाय तथा इस भूमि पर मानचित्र स्वीकृति के समय भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क प्राप्त किया जाय।
185/32	गोमती नगर योजना के विकास खण्ड–2 में 'नर्सिंग होम' भूखण्ड से संलग्न 545.38 वर्गमीटर 'व्यवसायिक' उपयोग की भूमि को वर्ष 1996 में 'नर्सिंग होम' उपयोग हेतु निष्पादित लीजडीड के अनुसार भूमि का भू–उपयोग तलपट मानचित्र में 'नर्सिंग होम' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	गोमती नगर योजना के विकास खण्ड–2 में 'नर्सिंग होम' भूखण्ड से संलग्न 545.38 वर्गमीटर 'व्यवसायिक' उपयोग की भूमि को वर्ष 1996 में 'नर्सिंग होम' उपयोग हेतु निष्पादित लीजडीड के अनुसार भूमि का भू–उपयोग तलपट मानचित्र में 'नर्सिंग होम' में परिवर्तित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड पर वर्तमान व्यवसायिक दर से अन्तर धनराशि प्राप्त किया जाय।
185/33	गोमती नगर विस्तार, सेक्टर–4 में टेलीफोन एक्सचेंज एवं 33 के0वी0 सबस्टेशन हेतु नियोजित दोनो भूखण्डों पर ग्रुप हाउसिंग उपयोग हेतु भूखण्ड पुनर्नियोजन किये जाने के सम्बन्ध में।	तलपट मानचित्र में संशोधन संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
185/34	प्राधिकरण की नियोजित विभिन्न योजनाओं	प्राधिकरण की नियोजित विभिन्न योजनाओं में

	में सुविधाओं यथा–पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज व अन्य उपयोगों हेतु आरक्षित भूखण्डों के उपयोग परिवर्तन हेतु योजनाओं के तलपट मानचित्र में संशोधन के संबंध में।	सुविधाओं यथा–पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज व अन्य उपयोगों हेतु आरक्षित भूखण्डों के उपयोग परिवर्तन हेतु योजनाओं के तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने के संबंध में आपत्ति/सुझाव के उपरान्त निर्णय लिये जाने हेतु उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव में अंकित विवरण के क्रम संख्या–13 में आवासीय के स्थान पर सामुदायिक सुविधा में परिवर्तन किया जाय।
185/35	प्राधिकरण द्वारा विकसित ट्रान्सपोर्ट नगर, कानपुर रोड योजना के तलपट मानचित्र में भूखण्ड सं0–सी0पी0–525 व्यवसायिक उपयोग के स्थान पर पेट्रोल पम्प (व्यवसायिक) उपयोग हेतु संशोधित किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	तलपट मानचित्र में संशोधन सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि मानचित्र स्वीकृति के समय यातायात पुलिस से अनापत्ति प्राप्त की जाय।
185/36	एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा अडानी लखनऊ इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0 (संशोधित नाम लखनऊ इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0) के मध्य कन्सेशन एग्रीमेन्ट के माध्यम से संचालन हेतु दिये गये चौधरी चरन सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क्षेत्रान्तर्गत 110.00 एकड़ (4,45,154.00 वर्गमी0) क्षेत्रफल में प्रस्तुत ले–आउट प्लान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा अडानी लखनऊ इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0 (संशोधित नाम लखनऊ इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0) के मध्य कन्सेशन एग्रीमेन्ट के माध्यम से संचालन हेतु दिये गये चौधरी चरन सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क्षेत्रान्तर्गत 110.00 एकड़ (4,45,154.00 वर्गमी0) क्षेत्रफल में प्रस्तुत ले–आउट प्लान में सिटी साइड डेवलपमेन्ट के प्रस्तावित भूखण्ड़ो के प्रस्तुत ले–आउट प्लान को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
185/37	मै0 अंसल हाउसिंग इनरीजिंग लिविंग स्टाइलेश द्वारा विकसित की गयी सेक्टर–एम एवं एन, आशियाना कानपुर रोड योजना लखनऊ के पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या–217ए दिनांक 12.07.1991 में किये गये विचलन के कारण संशोधित तलपट मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	मै0 अंसल हाउसिंग इनरीजिंग लिविंग स्टाइलेश द्वारा विकसित की गयी सेक्टर–एम एवं एन, आशियाना कानपुर रोड योजना लखनऊ के पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या–217ए दिनांक 12.07.1991 में किये गये विचलन के कारण संशोधित तलपट मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि मानचित्र में विचलन हेतु पेनाल्टी/शमन शुल्क भी आरोपित किया जाय।
185/38	प्राधिकरण विकास क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष सुख सुविधा (शहीद पथ, किसान पथ एवं ग्रीन कॉरीडोर) अधिसूचित कराने के संबंध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में शहीद पथ, किसान पथ एवं ग्रीन कॉरीडोर को 'विशेष सुख–सुविधा' के अन्तर्गत अधिसूचित कराने सम्बन्धी प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने का अनुमोदन बोर्ड द्वारा सर्व–सम्मति से प्रदान किया गया।
185/39	प्राधिकरण विकास क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष सुख–सुविधा शुल्क के वृद्धि किये जाने के संबंध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव में 'विशेष सुख–सुविधा' शुल्क रू0 615.00 प्रति वर्गमीटर के स्थान पर रू0 500.00 प्रति वर्गमीटर (भूखण्ड क्षेत्रफल पर) सम्पूर्ण विकास क्षेत्र के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रस्तावित/शमन मानचित्रों पर अधिरोपित किये जाने का अनुमोदन बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से प्रदान किया गया।

185/40	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उद्ग्रहित विशेष सुख सुविधा शुल्क के मद में प्राप्त धनराशि के उपभोग किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि वर्तमान में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विशेष सुख–सुविधा शुल्क के मद में संग्रहित धनराशि का उपयोग पक्कापुल से डालीबाग तक दो लेन आर ओ बी कम फ्लाईओवर एवं गोमती नदी पर पुल के निर्माण कार्य में किया जा रहा है। शासन द्वारा धारा 20 (क) (1) (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा धनराशि व्यय के सम्बन्ध में विर्निदिष्ट किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना अभी तक जारी नही की गयी है। अतः उक्त मद में प्राप्त धनराशि का उपयोग लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किये जा रहे ग्रीन कारीडोर परियोजना अन्तर्गत अवस्थापना निधि की भांति पक्कापुल से डालीगंज तक तथा ग्रीन कॉरीडोर के अन्तर्गत प्रस्तावित अन्य परियोजनाओं में उपयोग किये जाने की प्राधिकरण हित में अनुमति प्रदान की जाये। उपरोक्त के आलोक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उदग्रहीत विशेष सुख–सुविधा शुल्क के मद में प्राप्त धनराशि के उपभोग किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमादित किया गया।
185/41	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आई0आई0एम0 रोड पर प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण तथा आगरा एक्सप्रेस वे पर प्रस्तावित योजनाआओं की भूमि अधिग्रहण हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि आई0आई0एम0 (नैमिष नगर) पर प्रस्तावित योजना हेतु रु0 4785.34 करोड़ तथा आगरा एक्सप्रेस वे (वरुण बिहार) पर अर्जन हेतु रु0 7471.93 करोड़ की आवश्यकता होगी। मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत लगभग 1000 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो सकेगी तथा प्राधिकरण द्वारा अपने वित्तीय क्षमताओं/संसाधनों से एवं जैसे–जैसे भूमि का क्रय/जुटाव होता रहेगा उसके आधार पर योजना प्रारम्भ करते हुए जनमानस से भी धनराशि प्राप्त होती रहेगी। प्राधिकरण के पूर्व में संचालित योजनाओं तथा अनिस्तारित सम्पत्तियों के विक्रय से भी धनराशि प्राप्त होगी, किन्तु उपरोक्त के फलस्वरुप भी भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु वित्तीय संस्थाओं से भी ऋण लिये जाने की आवश्यकता होगी। उपरोक्त दोनों योजनाओं को संचालित किये जाने एवं ऋण लिये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा Expression of Intrest आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें प्राधिकरण हित में न्यूनतम ब्याज दर पर औचित्यपूर्ण शर्तों के साथ वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिये जाने के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान

		किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा EOI आमंत्रित करने हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।
185/42	प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित नवीन योजनाओं के भूमि अधिग्रहण एवं विकास कार्यो तथा डिजिटाइजेशन, कम्प्यूटराइजेशन, नई ई. आर.पी. आदि का कार्य बजट प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरांत प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित नवीन योजनाओं के भूमि अधिग्रहण एवं विकास कार्यो तथा डिजिटाइजेशन, कम्प्यूटराइजेशन, नई ई.आर.पी. आदि के लिए बजट प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
185/43	लखनऊ विकास प्राधिकरण में दो सहायक लेखापरीक्षा/वरिष्ठ लेखापरीक्षक की मानदेय के आधार पर तैनाती के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
185/44	नन्दाखेड़ा तुलसी काम्पलेक्स लखनऊ पर निवास कर रहे निवासियों के विस्थापन के सम्बन्ध में।	विस्तृत विचार–विमर्श के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
185/45	प्राधिकरण के विभिन्न योजना में निर्मित कामर्शियल काम्पलेक्स में निर्मित दुकानें, योजनाओं में निर्मित हॉल, स्टोर आदि आलोकप्रिय घोषित करते हुए प्रथम आओ–प्रथम पाओ योजना के अन्तर्गत विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्रस्ताव में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 04.11.1999 के क्रम में प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में दुकान, हॉल, स्टोर आदि की कुल संख्या–156 एवं आरक्षित मूल्य रू0–26.75 करोड़ हैं, जिनकी मांग कम होने के कारण विक्रय नहीं हो पा रही हैं। इन सम्पत्तियों को शासनादेश के अनुसार अलोकप्रिय घोषित करते हुए प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त के सिद्वांत (First Come First Serve) पर विक्रय किया जाना उचित होगा। उपरोक्त के आलोक में प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
185/46	प्राधिकरण के सिंण्डर्स डम्प योजना स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या– सी०पी० 1 से सी.पी.–2 के निकट भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
185/47	मण्डी परिषद को आवंटित भूमि 40697.59 वर्गमीटर के स्थान पर बढ़े हुये क्षेत्रफल 5003 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि की संशोधित गणना के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
185/48	आवंटियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये रतन खण्ड योजना रायबरेली रोड पर प्राधिकरण एवं मैसर्स यूनीटेक लि0 के मध्य हुए अनुबन्ध दिनांक 20.07.1988 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्रश्नगत योजना का विकासकर्ता मेसर्स यूनिटेक दिवालिया हो गया है, जिसके कारण इस योजना के आवंटियों की सम्पत्तियों के निस्तारण में समस्या आ रही है। प्रकरण मा0 एन.सी.एल.टी. न्यायालय में चल रहा है, अतः आवंटियों को हो रही समस्याओं एवं मैसर्स यूनिटेक के दिवालिया होने के कारण फर्म के विरुद्ध एन.सी.एल.टी. न्यायालय में विवाद को दृष्टिगत प्राधिकरण एवं मैसर्स

		यूनिटेक के मध्य किये गये अनुबन्ध दिनांक 20.07. 1988 को निरस्त करते हुए विकासकर्ता को लाईसेन्स पर दी गई रिक्त भूमि/सम्पत्तियों के निस्तारण का अधिकार लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त होगा तथा ले-आउट में परिर्वतन उनके द्वारा आवंटन के पश्चात् निष्पादित विक्रय विलेखों में परिर्वतन करने का अधिकार लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित होगा। उक्त प्राप्त अधिकारों से प्राधिकरण द्वारा आवंटियों की समस्याओं का निस्तारण किया जा सकेगा। उक्त के क्रम में प्राधिकरण एवं विकासकर्ता के मध्य किये गये अनुबन्ध दिनांक 20.07.1988 को निरस्त करने एवं सम्पत्तियों के निस्तारण प्राधिकरण स्तर से किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना उचित होगा। उपरोक्त के आलोक में प्रस्तुत प्रस्ताव जनहित में होने के कारण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
185/49	प्राधिकरण के एम.आई.जी./एच.आई.जी. भवनों मे अवैध रूप से अध्यासित व्यक्तियों को वर्तमान मूल्य के आधार पर धनराशि लेकर नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा एम0आई0जी0/एच0आई0जी0 भवनों में अध्यासित व्यक्तियों के पक्ष में ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 भवनों की नीति की भाँति एम0आई0जी0/एच0आई0जी0 भवनों में अवैध रूप से अध्यासित व्यक्तियों के पक्ष में निस्तारण/नियमितीकरण किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विस्तृत आख्या/रिपोर्ट आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के लिये समिति के गठन हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।
185/50	लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं मे आवंटित आश्रयहीन/ ईडब्ल्यूएस भवनों के आवंटियों को विवाद एवं अपरिहार्य कारणों से आवंटित भवनों के स्थान पर अन्य योजनाओं मे भवन समायोजित किये जाने पर समायोजन तिथि से ब्याज लिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
185/51	ट्रांसपोर्ट नगर योजना में पेट्रोल पम्प हेतु आवंटित/निबन्धित भूखण्ड का फायर स्टेशन हेतु आरक्षित भूमि पर किये गये समायोजन को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ट्रांसपोर्ट नगर योजना में आवंटी को मूल रूप में गोडाउन/एजेंसी का आवंटन किया गया था, जिस पर विवाद होने के कारण कालान्तर में पेट्रोल पम्प की भूमि में समायोजित किये जाने का आदेश उपाध्यक्ष स्तर से पारित किये गये, जो विधि-सम्मत् नहीं थे। अतः पेट्रोल पम्प भूखण्ड के सम्बन्ध में किया गया समायोजन निरस्त करते हुए प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:- 1. प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 31 मई, 2023 में लिये गये निर्णय के अनुसार उन्हें पहले आओ, पहले पाओं योजना में रिक्त फ्लैटों का ऑफर दिया जाय।

		2. यदि फ्लैट लेने पर सहमत न हो, तो उन्हें MCLR+1% की दर से धनराशि वापस कर दी जाय एवं सरेंडर डीड कराई जाय।
185/52	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा समायोजन नीति के अन्तर्गत समायोजित भूखण्डों/फ्लैटों के विनिमय विलेख हेतु स्टैम्प शुल्क व अन्य शुल्क (कोर्ट फीस) प्राधिकरण द्वारा वहन किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।
185/53	लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सुव्यवस्थित विकास हेतु गठित पीएमसी सेल के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।
185/54	पी0आई0यू0/पी0एम0सी0 अन्तर्गत तैनात सेवानिवृत्त अधिकारियों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। यह भी निर्देश दिये गये कि कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत 01 अतिरिक्त से0नि0 राजस्व अधिकारी को रख लिया जाय।
185/55	कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन फ्लैटों Affordable 1BHK, 2BHK Housing को करते हुए विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि इन भवनों के विक्रय के लिये शीघ्र कार्यवाही की जाय।
185/56	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बसन्तकुन्ज योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के पास 1000 वर्गमी0 भूमि को ई–आटो की चार्जिंग हेतु लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि0, केन्द्रीय नगर बस टर्मिनल चारबाग लखनऊ को 05 वर्ष हेतु टोकन मनी रू. 01/–प्रति वर्ष पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा जनहित में अनुमोदित किया गया।
185/57	लखनऊ शहर में ऐशबाग, बसंतकुंज योजना, गोमती नगर विराज खण्ड एवं गोमती नगर विस्तार, सेक्टर–4 में ग्रुप हाउसिंग के निर्माण के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
185/58	जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र परियोजना हेतु गठित जे.पी.एन.आई.सी. सोसाइटी को भंग करते हुए उसको पूर्ण कराने, संचालन एवं रख–रखाव हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश संख्या–60/2025/821/आठ–1–25/289 एल0डी0ए0/2004 टी0सी0 4 दिनांक 04 जुलाई 2025 के अनुपालन में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा इसके सम्बन्ध में अग्रेतर समस्त कार्यवाही किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।
185/59	लखनऊ विकास प्राधिकरण में सृजित एवं संरक्षित पत्रावलियों को शासनादेश के क्रम में वीडिंग किए जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।
	अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अनुपूरक विषय	
अनु0वि0 185/01	लखनऊ शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार एवं सुगम बनाने के दृष्टिकोण से तथा हरदोई व सीतापुर रोड को लखनऊ शहर के समतामूलक चौराहा शहीद पथ एवं किसान पथ को सीधी कनेक्टीविटी के	परियोजना की सार्वजनिक उपयोगिता के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

	सम्बन्ध में गोमती नदी के दोनों तटबन्धों पर आईआईएम रोड से किसान पथ तक ग्रीन कॉरीडोर के निर्माण के सम्बन्ध में।	
अनु0वि0 185/02	मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु नैमिष नगर आवासीय योजना के विस्तारित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्राम-पश्चिम गांव, धोबैला, उमरभारी व दुग्गौर की भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करते हुए आवासीय योजना विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।	लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवसीय योजना विकसित किये जाने के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
अनु0वि0 185/03	अनन्त नगर आवासीय योजना (मोहान रोड) के संशोधित तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में बोर्ड बैठक से पारित कराये जा रहे प्रस्तावों के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री पी0एन0 सिंह एवं श्री पुष्कर शुक्ला एवं अन्य सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा एकमत से सराहना की गई।

अन्त में उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

(विवेक श्रीवास्तव)
सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

(प्रथमेश कुमार)
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

<u>अनुमोदित</u>

(डा0 रोशन जैकब)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।